न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 448/2025

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थी
1 पार्वती पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी गालाबेरी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री भजनलाल गोदारा, वकील प्रार्थीनी पक्ष।

आदेश

दिनांक 13.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा हरियाला मगरा पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 750/167 रकबा 3.8850 हैक्टैयर भूमि की आई हुई है। प्रार्थीनी का रेकर्डेड नाम पार्वती पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी गालाबेरी है जो आधार कार्ड, बैंक डायरी, एवं समस्त दस्तावेज में पार्वती नाम अंकित है। पारू नाम की दूसरी कोई महिला नही है उक्त प्रार्थीनी का नाम टंकनीय भूल से पारू कर दिया गया है। मौजा हरियाला मगरा पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 750/167 रकबा 3.8850 हैक्टैयर भूमि राजस्व अभिलेख में "पारू पत्नी भारूराम जाति जाट सा शिवकर खातेदार" है, जो अशुद्ध है, जिसे हटाना न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत मौजा हरियाला मगरा पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 750/167 रकबा 3.8850 हैक्टैयर भूमि में "पारू पत्नी भारूराम जाति जाट सा शिवकर खातेदार" के स्थान पर "नाम पार्वती पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी गालाबेरी" शुद्ध करवाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/3762 दिनांक 03.09.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा हरियाला मगरा पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 750/167 रकबा 3.8850 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थीनी द्वारा भूमि समर्पण करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 750/167 के स्थान पर नवीन [illegible] संख्या 820/750 रकबा 3.8688 पारू पत्नी भारूराम जाति जाअ निवासी शिवकर [illegible] है उक्त खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थीनी द्वारा अपने सगे भाईयों से [illegible] के जरिये [illegible] थी, पंजीयन भेट पत्र में प्रार्थीनी का नाम पारू पत्नी भारूराम दर्ज था इस [illegible] पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण भरा गया था जिसके कारण प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में पारू पत्नी भारूराम दर्ज है, लेकिन का अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में नाम पार्वती पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

गालाबेरी शिवकर दर्ज है। प्रार्थीनी राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम पारू पत्नी भारूराम निवासी शिवकर के स्थान पर पार्वती पत्नी भारूराम निवासी गालाबेरी (शिवकर) करवाना चाहती है। पारू पत्नी भारूराम व पार्वती पत्नी भारूराम एक ही महिला है। ग्राम हरियाला मगरा वर्तमान खसरा संख्या 892/750 रकबा 3.8688 हैक्टेयर भूमि पर मौके काश्त कब्जा पारू उर्फ पार्वती पत्नी भारूराम का ही पाया गया है मौके पर किसी भ्ज्ञी प्रकार का विवाद नही है। लिहाजा ग्राम हरियाला मगरा वर्तमान खसरा संख्या 892/750 रकबा 3.8688 हैक्टेयर भूमि में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में अंकित सही व वास्तविक नाम पार्वती पत्नी भारूराम निवासी गालाबेरी (शिवकर) के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थीनी का नाम पार्वती पत्नी भारूराम जाति जाट निवासी गालाबेरी (शिवकर) किया जाना प्रस्तावित है।

वकील प्रार्थीनी को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा रिकॉर्ड के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर ग्राम हरियाला मगरा वर्तमान खसरा संख्या 892/750 रकबा 3. 8688 हैक्टेयर भूमि में ''पारू पत्नी भारूराम जाति जाट सा शिवकर खातेदार'' के स्थान पर ''पार्वती पत्नी भारूराम निवासी गालाबेरी (शिवकर)'' शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थित में इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। वकील प्रार्थीनी ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार नाम दुरूस्त की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाला मगरा वर्तमान खसरा संख्या 892/750 रकबा 3.8688 हैक्टेयर भूमि में ''पारू पत्नी भारूराम जाति जाट सा शिवकर खातेदार'' के स्थान पर ''पार्वती पत्नी भारूराम निवासी गालाबेरी (शिवकर)'' की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर